(5) sewage NOC

कार्यालय, नगर निगम, हरिद्वार।

पत्रांक 1002/नि0वि0/2021–22 दिनांक 05/02/2022

श्री प्रबोध अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानेश कुमार
व श्री ज्ञानेश कुमार पुत्र स्व0 हजारालाल अग्रवाल
निवासीगण– 16, हिमगिरी विहार, विष्णु गार्डन
कनखल, हरिद्वार

विषय :– अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा भू–खण्ड स्थित स्थल वार्ड नं0–56, हनुमन्तपुरम कॉलोनी, जगजीतपुर, कनखल, तहसील व जिला हरिद्वार के प्रस्तुत किये गये अभिलेख/मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण किये जाने हेतु नगर निगम, हरिद्वार से अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/मानचित्र के अनुसार स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

1– रिकार्ड/विक्रय पत्र के अनुसार स्थल के साथ सड़क की चौड़ाई 21.00 मीटर, 9.00 मीटर चौड़ी मार्ग पर अवस्थित है। भवन स्वामी को प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार भवन निर्माण ~~की~~ कार्यवाही करनी होगी।

2– ~~नगर निगम~~ अधिनियम, 1959 की धारा– 233 व धारा–234 के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा निजी सड़क की नालियों को निगम की नाली से जोड़ने व निगम की नालियों में जल निस्तारण बिना निगम की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

3– नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–245 (1) (क), (ख) के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा नये भवन बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे।

4– नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–292, धारा–293, धारा–294, धारा–295 धारा–296 के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा सड़कों आदि से बाहर निकले हुए भागों, सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने, सड़कों के संबंध में प्रतिषेधों का अनुपालन करना होगा।

5– नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–302 के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा बिना अनुमति के सड़क न खोदी जाये, न तोड़ी जाये और न उस पर भवन सामग्री [illegible] की जाये।

6– भवन स्वामी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी।

7– उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अन्तर्गत भवन स्वामी कोई धूल या अन्य पदार्थ, मलबा किसी भवन, भूमि या सार्वजनिक स्थान पर जमा नहीं किया जायेगा, कोई पानी या अस्वास्थ्यकर [illegible] नाली में डाला, फेंका या बहाया नहीं जायेगा तथा धारा 8 के अन्तर्गत [illegible] द्वारा अपने परिसर के आसपास के क्षेत्र जिसमें साथ लगे पैदल मार्ग, पथ आदि सम्मिलित है, की सफाई करवायेगा और उन्हें स्वच्छ रखेगा। निजी सड़क के [illegible]

Scanned with CamScanner

परिसर का स्वामी या अध्यासी अपने परिसर के सामने या साथ लगे सड़क के भाग तक सफाई करवायेगा।

8– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट–2016 के अन्तर्गत गीला व सूखा कूड़ा घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को पृथक–पृथक करना होगा तथा नगर निगम या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को निस्तारण प्रदान किया जायेगा तथा इस हेतु निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान करना होगा।

9– भवन स्वामी को सीवर का संयोजन नियमानुसार करना होगा। सीवर लाईन न होने की दशा में सैप्टिक मेनेजमेन्ट के नियमों के अनुसार सैप्टिक टैंक बनाये जायेंगे तथा नियमानुसार सैप्टिक निस्तारण की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगा।

10– हरिद्वार के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11– भवन स्वामी को नियमानुसार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना होगी।

12– अनापत्ति निर्गत किये जाने के उपरान्त भी भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद–विवाद के होने तथा भूमि के स्वामित्व संबंधी कोई भी तथ्य असत्य पाये जाने अथवा छिपाये जाने की स्थिति में निर्गत की गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों / शर्तों के आधार पर अनापत्ति निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :– मानचित्र की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, हरिद्वार

प्रतिलिपि :–

1– नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– सहायक नगर आयुक्त (सम्पत्ति), नगर निगम, हरिद्वार।
3– सहायक अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार।
4– कर एवं राजस्व अधीक्षक (सम्पत्ति), नगर निगम, हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, हरिद्वार

Scanned with CamScanner

E-mail -eehrd-ujs-uk@nic.in
दूरभाष (का0)–01334–262099

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड,
उत्तराखण्ड जल संस्थान, पन्तद्वीप, हरिद्वार।

पत्रांक– 3025 /अनापत्ति–अनापत्ति/2021–22 दिनांक– 2-3-2022

सहायक अभियन्ता,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 5384 दिनांक 03.02.2022 के कम में, श्री प्रबोद अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानेश कुमार एवं श्री ज्ञानेश कुमार पुत्र स्व0श्री हजारी लाल अग्रवाल, खसरा नं0–184 एवं 184 एम0वार्ड नं0–56 हनुमन्तपुरम, ग्राम जगजीतपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार, कनिष्ठ अभियन्ता, जोन–द्वितीय मायापुर–कनखल, एवं सहायक अभियन्ता, मायापुर, हरिद्वार, द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जा रहा है कि संलग्न मानचित्र के अनुसार सन्दर्भित भूमि के पास उत्तराखण्ड जल संस्थान का टयूब्वैल एवं पाइप लाइन नहीं है। आपको पेयजल व्यवस्था स्वयं के संसाधनों से करनी होगी एवं भूतल पर वर्षा जल संरक्षण हेतु एक भूमिगत जलाशय का निर्माण करना होगा, जिससे वर्षा का जल संचित कर उसका उपयोग गैर घरेलू कार्यों में करना आवश्यक होगा एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना नितान्त आवश्यक होगा।

भवदीय

(मदन सैन)
अधिशासी अभियन्ता

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।
प्रतिलिपिः– श्री प्रबोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानेश कुमार, 16, हिमगिरी विहार, विष्णु गार्डन, कनखल, तहसील व हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner